भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 962
गुरुवार, 5 फरवरी, 2026/16 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस का प्रयोग

962. श्री बसवराज बोम्मईः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने डिजिटल पायलट लाइसेंसों को इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस (ईपीएल) में परिवर्तित करने के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) डिजिटल पायलट लाइसेंसों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने तथा संभावित दुरुपयोग या धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को ईपीएल के कार्यान्वयन के संबंध में विमान कंपनियों, पायलट संघों या अंतर्राष्ट्रीय विनियामक निकायों से कोई फीडबैक प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस (ईपीएल), अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के विनियमों के अनुरूप जारी किया गया है, जैसा कि एक राष्ट्र की कार्मिक लाइसेंसिंग पर आईसीएओ अनुबंध 1 और कार्मिक लाइसेंसिंग प्रणाली की स्थापना एवं प्रबंधन के लिए डीओसी 9379 – प्रक्रियाओं के मैनुअल में निर्धारित किया गया है। आईसीएओ के अनुमोदन से दिनांक 20 फरवरी 2025 को ईपीएल शुरू किया गया है। ईपीएल केवल ईजीसीए मोबाइल ऐप पर ही उपलब्ध कराया गया है।

(ग) और (घ): हितधारक परामर्श के भाग के रूप में, चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए मसौदा योजना के साथ एक सार्वजनिक सूचना दिनांक 5 सितंबर 2024 को जारी की गई थी। हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गईं। तत्पश्चात प्राप्त सुझावों और टिप्पणियों का समाधान किया गया था।

*****